प्रेस विज्ञप्ति
13.06.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जयपुर आंचलिक कार्यालय ने नेक्सा एवरग्रीन धोखाधड़ी से संबंधित धन शोधन जांच के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत जयपुर, सीकर, झुंझुनू और अहमदाबाद में 25 स्थानों पर 12.06.2025 को तलाशी अभियान चलाया, जिसमें रणवीर बिजारनिया और सुभाष बिजारनिया ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर बड़ी संख्या में निवेशकों से 2676 करोड़ रुपये एकत्र किए थे।

ईडी ने राजस्थान पुलिस द्वारा दर्ज की गई विभिन्न एफआईआर और चार्जशीट के आधार पर जांच शुरू की, जिसमें पता चला कि आरोपी व्यक्तियों ने एकत्रित राशि को गुजरात के धोलेरा में स्थित पीएम के धोलेरा सिटी प्रोजेक्ट में निवेश करने का दावा किया और धोलेरा प्रोजेक्ट में प्लॉट या कम समय में बराबर रिटर्न देने का वादा किया और निवेशकों को धोलेरा सिटी के विभिन्न प्रोजेक्ट की तस्वीरें दिखाकर धोखा दिया। उन्होंने भोले-भाले निवेशकों को लुभाने के लिए उच्च रिटर्न और पुरस्कार के वादे के साथ विभिन्न निवेश और पुरस्कार योजनाएं तैयार कीं। इस योजना में दूसरों को रेफर करने के लिए स्तरीय आय और कमीशन/पुरस्कार भी शामिल थे, जिसमें ऊपर दी गई तालिकाओं में उल्लिखित कुछ निवेश मील के पत्थर हासिल करने के लिए लैपटॉप, बाइक, कार जैसे स्तरों और पुरस्कारों के अनुसार प्रतिशत अलग-अलग थे। योजना के दूसरे भाग में, निवेशकों को अतिरिक्त कमीशन का वादा किया गया था यदि वे अपनी विशिष्ट आईडी के तहत अधिक निवेशकों को भर्ती कर सकते हैं। निवेशकों ने बड़ी रकम का निवेश किया, जिसमें अक्सर उनकी जीवन भर की बचत, ऋण और परिवार के सदस्यों का योगदान शामिल था। कुछ निवेशकों को शुरुआती रिटर्न मिला, जिससे उनका भरोसा मजबूत हुआ और आगे के निवेश की ओर अग्रसर हुआ। हालांकि, जनवरी 2023 में अचानक भुगतान बंद हो गया और निवेशकों को पता चला कि कंपनी के कार्यालय बंद हो गए हैं और संचालक भाग गए हैं। इसके कारण कई एफआईआर दर्ज की गईं, जिससे पता चला कि बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी की गई है, जिसमें बड़ी संख्या में निवेशकों को काफी वित्तीय नुकसान हुआ है।

तलाशी अभियान के दौरान 2.04 करोड़ रुपये की नकदी के साथ-साथ विभिन्न अपराध-संकेती दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस बरामद किए गए और उन्हें जब्त कर लिया गया। इसके अलावा, नेक्सा

ग्रुप की विभिन्न संस्थाओं/सहयोगियों से जुड़े बैंक खातों/क्रिप्टो खातों में पड़ी लगभग 15 करोड़ रुपये की राशि को फ्रीज कर दिया गया।

आगे की जांच जारी है।



तलाशी के दौरान जब्त की गई नकदी की तस्वीर
